

# फर्द अहकाम

2022/24.

मालय

सहायक कलेक्टर (फा. ५०) चोम  
मुश बनाम बालचन्द्र काँठ

दमा संख्या / वर्ष

: 13/20 22

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10/2/22	वकील बड़ी नारायण बुनकर ने दावा पेश किया। रिपोर्ट तत्पर ही चुकी है। धारा 80(2) सी. पी. ए. सी. का प्रावधान स्वीकार किया जाता है। दावा इतनी रजि. ही। प्रतिवादी का तलब हेतु नोटिस जारी की। फा. ५० का तलब दिनांक 24/3/22 को पेश हो।	
24/3/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21/4/22 को पेश हो। <i>Bj</i>	
21/4/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 11/6/22 को पेश हो। <i>Bj</i>	
11/6/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20/7/22 को पेश हो। <i>Bj</i>	
6/7/22	आज मट फा. ५० का तलब हेतु पेश होने पर पेश हुई दावा की पहचान वकील बड़ी नारायण बुनकर ने की। दावा मजबूत अवस्था के उपलब्ध कर प्रा. ५० का तलब विज्ञा लाकर पेश कर निवेदन किया है कि प्रमाण	

नि. प्र. २३  
10/7/22

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>में पत्रकारों के मध्य राजीनामा होना था। प्रकरण को भारी नहीं चलाना चाहते हैं। प्रकरण को विद्वानों की अनुमति प्रदान करें। पत्रकारों एवं पत्रकारों का अवलोकन किया जाता एवं बहस पर मन्म किता बाला बाड़ी के लिए विद्वानों के आचार पर पत्रकारों द्वारा की जाती है। पत्रकारों के अलावा अन्तर्गत रूप नमक के कम हो एवं शिथिल स्वतंत्र है।</p> <p style="text-align: center;">882  सहायक कलक्टर  (फास्ट ट्रेक)  चौमू (जयपुर)</p>	